



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं. ए-49/18/2/2024.रा.भा.(जांच बिंदु)

दिनांक : /4/2025

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक / प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
4. संचालक/अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय / दंत्य महाविद्यालय / नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा।

विषय: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच बिंदुओं का अनुपालन।

महोदय/ महोदया,

सरकार की राजभाषा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने जांच बिंदु स्थापित किए हैं, और इनके सम्यक अनुपालन पर जोर दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति जब किसी इकाई (कार्यालय/अस्पताल) का निरीक्षण करती है, तो जांच बिंदु के अनुपालन की समीक्षा करती है। इसलिए प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है कि वह स्थापित जांच बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्यालय को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में जांच बिंदुओं की सूची स्वयं ही जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच बिंदुओं की प्रति प्रत्येक अधिकारी को जारी की जाती है और इसकी एक प्रति उसके नियंत्रणाधीन शाखा को भी भेजी जाती है। प्रत्येक जांच बिंदु के अनुपालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम उस जांच बिंदु के सामने अंकित करते हुए जांच बिंदु की सूची विधिवत जारी की जाती है। तत्पश्चात पूरे वर्ष प्रत्येक जांच बिंदु के सम्यक अनुपालन की बारीकी से निगरानी रखी जाती है तथा अनुपालन का उल्लंघन पाए जाने पर उसे संबंधित इकाई के अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाता है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी इस मद पर चर्चा की जाती है और अनुपालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

जांच बिंदुओं की मदें निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	मद	उत्तरदायी
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे परिपत्र, आदेश आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप से जारी करना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/सभी शाखाएं
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/सभी शाखाएं
3.	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना	सभी शाखाधिकारी/जारीकर्ता अधिकारी तथा प्राप्त एवं प्रेषण शाखा के अधिकारी
4.	सभी पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार/प्रयोग करना	सभी शाखाधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
5.	रजिस्ट्रों एवं सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेख के शीर्ष द्विभाषी होना तथा उनमें प्रविष्टियां हिंदी में किया जाना	प्रशासन शाखा के अधिकारी/लेखा अधिकारी
6.	रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना	सामान्य शाखा के अधिकारी/संबंधित शाखा अधिकारी
7.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि अनिवार्यतः हिंदी में जारी करना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/संबंधित शाखाएं

8	द्विभाषी कम्प्यूटरों/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद/व्यवस्था	सामान्य शाखा के अधिकारी/खरीद अधिकारी
9	हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी भाषा में ही दिया जाना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/संबंधित शाखाएं
10	सभी विभागीय बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना तथा बैठक की कार्यवाहियां हिंदी भाषा में संचालित करना	बैठक अध्यक्ष/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/संबंधित शाखा अधिकारी/शाखाएं
11	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हिंदी में कार्य निष्पादन	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सभी सदस्य
12	सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सहित हिंदी का उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना तथा ईमेल हिंदी में किया जाना	प्रणाली शाखा के अधिकारी तथा सभी ई-मेल जारीकर्ता अधिकारी/शाखाएं
13	इकाई(कार्यालय/अस्पताल) द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित/साइक्लोस्टाइल फॉर्म एवं मानक मसौदों को द्विभाषी रूप में ही मुद्रित तथा प्रकाशित करवाया जाना	सामान्य शाखा के अधिकारी/संबंधित प्रयोगकर्ता अधिकारी/शाखा अधिकारी
14	विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली कुल राशि में से न्यूनतम 50% राशि का व्यय अनिवार्यतः हिंदी विज्ञापनों पर किया जाना।	जनसंपर्क शाखा अधिकारी
15	वेबसाइट का द्विभाषीकरण तथा वेबसाइट पर सामग्री(पत्र-व्यवहार आदि) द्विभाषी रूप में ही अपलोड किया जाना	वेबसाइट सामग्री प्रबंधक तथा पत्र आदि जारीकर्ता अधिकारी/शाखा
16	अनुपालन के संबंध में प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व(राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना/करवाना)	इकाई(कार्यालय/अस्पताल) अध्यक्ष
17	संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुपालन	विनिर्दिष्ट शाखाओं के अधिकारी/विनिर्दिष्ट शाखाएं
18	उपस्थिति पंजिका में कार्मिकों के नाम तथा हस्ताक्षर हिंदी में होना	सभी शाखा अधिकारी/सभी कार्मिक

उपर्युक्त के दृष्टिगत, निदेशानुसार अनुरोध है कि जांच बिंदुओं की सूची विधिवत जारी करने की पुष्टि करें तथा जारी किए गए पत्र/परिपत्र की प्रति दिनांक 25.04.2025 तक मुख्यालय को अवश्य भिजवाएं।

भवदीय,

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)